356

K. K. Singh

(Chairmen)
Purvanchal Vikash Smiti (Regd.)
Delhi Pardesh

President
Shakti Vihar A-Block, R.W.A. (Regd.)

Residential Address :
13, Lane No. 5/5 & 04
A-Block Shakti Vihar,
Badarpur, New Delhi-44
Mobile : 9899367197
9350130429

Ref. No SVRWA/SV/Bhagidari/2012-13/35 Date 28/8/12

सेवा में,

माननीय निर्देशक (योजना)
एमपीआर, दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास मीनार, 6वीं मंजिल, नई दिल्ली-2

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2-92
Dated 4/9/12

मान्यवर,

मै आपका ध्यान बदरपुर के सभी गाँवो एवं अनधिकृत कालोनीयो के निवासियो कि एक अत्यत महत्वपूर्ण निम्नलिखित समस्या की ओर दिलाना चहाता हूँ।

बदरपुर के गाँवो एवं अनधिकृत कालोनियो मे, यहाँ के निवासी निजी जमीन पर अपने मकान बनाते है। तो वह निर्माण अवैध माना जाता है। दुसरी तरफ गांवो एवं अनधिकृत कालोनी मे निजी जमीन पर मकान बनाने हेतु नक्शा पास कराने के लिए जो आवश्यक कागजी कार्यवाही करनी होती है। वो संभव नही है। क्योकि गॉव जिस जमीन पर बसे हुए है। जो जमीन शामलात देह की है। अर्थात यह जमीन किसी एक व्यक्ति की मालकियत नही है। और अनधिकृत कालोनियो के निवासियो ने भी पॉवर ऑफ ऑर्टोनी पर जमीन खरीदकर मकान बनाये है।

उपरोक्त मामले मे मेरा आपसे अनुरोध यह है कि बदरपुर के गॉवो एवं अनधिकृत कालोनियो मे निजी जमीन पर मकान बनाने के लिए दिल्ली के बिल्डिग बॉईलॉज कानून के मूताबिक अनुमति मिलनी चाहिए।

क्योकि मकान का नक्शा पास कराने के लिए आवश्यक कागजात आवेदक द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध नही कराये जा सकते। इस लिए इन गॉवो एवं अनधिकृत कालोनियो मे मकान बनाने के लिए दिल्ली के प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड आर्किटेक्टों द्वारा पास किए गए नक्शो को बिल्डिग बॉईलॉज के अनुसार पर्याप्त माना जाना चाहिए। और दिल्ली नगर निगम मे इन नक्शो को जमा कराने पर बिल्डिग बॉईलॉज के नियम अनुसार आवेदको को मकान बनाने कि अनुमति मिलनी चाहिए।

साथ ही उपरोक्त, अनुमति केवल उन्ही गॉवो एवं अनधिकृत कालोनियो के मामलो मे दी जानी चाहिए। जो निजी जमीन पर हो जिनमे भारत सरकार के शहरी विकास विभाग के नियम अनुसार बाउड्री फिक्स हो गई हो। और जहां 50 प्रतिशत से अधिक बिल्ड-अप एरिया हो।

उपरोक्त ~~प्रेधान~~ प्रावधान हो जाने पर यहां के गॉवो एवं अनधिकृत कालोनियो के प्लांट मालिक निश्चिंत होकर बिना किसी डर व भय के अपने मकानो कि मजबूत नींव रख सकेगे। और इस क्षेत्र प्राप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ती मिल सकेगी। साथ ही इस दिशा मे दिल्ली सरकार एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण का उठाया गया यह कदम एतहासिक, जनहित कारी एवं सरहानीय होगी। उपरोक्त विषयो पर मुझे जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा प्रदान करें।

सादर,

भवदीय
(के.के. सिंह) 28/8/12

4/9
AD(Plg)III

Add :- Office No. 03 & 15, Street No. 5/2, A-Block, Shakti Vihar, Badarpur, New Delhi-110044

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com